

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
291	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.3375) दि. 03-03-2017 (श्री वेलसिंह भूरिया)	सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र के शेष अविद्युतीकृत मजरो/टोलों को विद्युतीकृत किया जाना ।	हम उसका परीक्षण करवा लेंगे ।		
292	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1690) दि. 03-03-2017 (श्री कैलाश चावला)	मनासा विधान सभा क्षेत्र में शेष अपूर्ण विद्युत ग्रिड के कार्य पूर्ण किया जाना ।	(1) बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे, हमने आदेशित किया है, यह हम दिनांक 31.07.2017 तक पूर्ण कर देंगे । (2) मैं जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।		
293	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.3113) दि. 03-03-2017 (श्री मुकेश नायक)	जिला पन्ना के विधान सभा क्षेत्र पवई के ग्राम बरखेड़ा को शीघ्र विद्युतीकृत किया जाना ।	(1) आपके साथ अधिकारी को भेज देंगे । (2) <u>आसंदी से निर्देश</u> :- आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज दें, जिससे वहीं निर्णय हो सके । (3) आपके आदेश का पालन करेंगे ।		
294	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.1489) दि. 03-03-2017 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	इंदौर जिलान्तर्गत 62 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं 96 स्थानों पर अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाना ।	माह जून-2017 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।		
295	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1759) दि. 03-03-2017 (श्री गोविन्द सिंह पटेल)	नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत शेष रहे ग्रामों का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाना ।	मार्च-17 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
296	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.2456) दि. 03-03-2017 (श्री रामकिशन पटेल)	उदयपुरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विजनहाई में 132 के.व्ही. अति उच्चदाब उप केन्द्र का निर्माण शीघ्र किया जाना ।	कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।		
297	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.2759) दि. 03-03-2017 (श्री रामकिशन पटेल)	ग्राम विजनहाई, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में 132 के.व्ही. अति उच्च दाब उप केन्द्र के निर्माण में विलंब के दोषी ठेकेदार पर ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाना ।	कार्यदिश निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्य अन्य ठेकेदार एजेंसी से वर्ष 2017-18 में पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे ।		
298	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.1125) दि. 03-03-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	जिला दतिया अंतर्गत शेष 28 कार्यों को बिना प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट आवंटन के संपादित कराए जाने के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाना ।	वर्तमान में जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँचोपरांत, जाँच निष्कर्ष के आधार पर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।		
299	अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.1960) दि. 03-03-2017 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मजरे/टोलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत आदिवासी बस्तियों को विद्युतीकृत किया जाना एवं बी.पी.एल. सूची अंतर्गत विद्युत कनेक्शन दिया जाना ।	कार्य जुलाई 2017 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं ।		
300	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.2181) दि. 03-03-2017 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	विधान सभा क्षेत्र सिंरोज के लटेरी नगर पंचायत के वार्ड क्र. 13 दाऊताल में विधायक निधि से 25 के.व्ही. की डी.पी. लगवाने में विलंब के दोषी कनिष्ठ यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
301	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.2392) दि. 03-03-2017 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	दुधी सिंचाई परियोजना बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद की डी.पी.आर. समय-सीमा में तैयार कर निविदा जारी की जाना ।	6 महीने के अंदर यह डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी जाएगी ।		
302	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.88) दि. 03-03-2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	पनागर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदना एवं बिलगवां नहरों की मेढों पर मुरमीकरण कार्य शीघ्र कराया जाना ।	वहां कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।		
303	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.1828) दि. 03-03-2017 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत नहरों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी निर्माण कंपनी को यथासमय सुरक्षा निधि न लौटाने के दोषी कार्यपालन यंत्रियों पर कार्यवाही की जाना ।	जी हाँ। प्रकरण में एक कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है एवं दूसरे कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही संस्थापन प्रस्तावित है ।		
304	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.89) दि. 03-03-2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	बरगी बांध की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्टाफ की तैनाती की जाना ।	जी हां ।		
305	अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.634) दि. 03-03-2017 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण में अधीक्षण यंत्री द्वारा की गई जांच के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण परीक्षण में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
306	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.220) दि. 03-03-2017 (श्री गोविन्द सिंह पटेल)	गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड चीचली के ग्राम बड़ागांव तक सड़क का निर्माण कराया जाना ।	वन विभाग इसमें हमें सहमति देगा और उसके बाद हम इसका निर्माण करेंगे ।		
307	अशासकीय संकल्प (क्रमांक 20) दि. 03-03-2017 (श्री केदारनाथ शुक्ल)	प्रदेश में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पंचायतों का परिसीमन किया जाना ।	मैंने कहा प्रकरण वाइज गुणदोष के आधार पर इस पर विचार करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पशुपालन विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
308	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.104) दि. 03-03-2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के तहत कांजी हाउस की स्थापना एवं नगर निगम क्षेत्र में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1969 को सख्ती से लागू किया जाना।	(1) जो नियम बना है संबंधित विभाग से हम प्रयास करेंगे कि उसको सख्ती से लागू किया जाये, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। (2) नगर निगम क्षेत्र के अंदर इसका शक्ति से पालन किया जाये।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
309	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.2069) दि. 03-03-2017 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में संचालित भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना ।	(1) को-ऑर्डिनेट करके बनाने का प्रयास करेंगे. यह जो आंगनवाड़ी भवन हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करवाकर उनमें आंगनवाड़ी भवन संचालित कराएंगे । (2) निश्चित तौर पर जो ऑनगोइंग काम हैं उनको शीघ्र ही पूर्ण करवाकर आंगनवाड़ी भवन का संचालन वहां प्रारंभ कर देंगे । (3) इसका प्रयास किया जाएगा ।		
310	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.439) दि. 03-03-2017 (श्री बाबूलाल गौर)	श्योपुर जिले में कुपोषित व्यक्तियों/बच्चों एवं महिलाओं के कुपोषण से शिकार होने व कुपोषण से बच्चों की मृत्यु होने की जांच की जाना ।	(1) एक बार मैं पुनः जांच करा लूंगी । (2) आपके साथ मैं भी चलूंगी और आपके साथ जाने में मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करूंगी । (3) जांच करा लेंगे ।		
311	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.1234) दि. 03-03-2017 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी, नागदा की विचाराधीन जांच पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जा रही है ।		
312	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.1775) दि. 03-03-2017 (श्री राम लल्लू वैश्य)	सिंगरौली जिले में नवीन स्वीकृत 86 आंगनवाड़ी केन्द्र चालू किया जाना एवं उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पदों की पूर्ति की जाना ।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
313	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.240) दि. 03-03-2017 (श्री शंकर लाल तिवारी, श्री केदारनाथ शुक्ल, श्री गिरीश गौतम)	रीवा जिले में बायपास सड़क निर्माण के समय आवागमन के लिए उपयोग से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनः शीघ्र निर्माण किया जाना एवं सड़क निर्माण में शर्तों के उल्लंघन के दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	(1) हम जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, मरम्मत भी कराएंगे और निर्माण कार्य शीघ्र हम वहां पर कराएंगे । (2) हम स्वयं के संसाधनों से, मध्यप्रदेश शासन से उन सड़कों का काम कराएंगे । (3) जल्दी ही इस कार्य को कराएंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा आश्चस्त माननीय विधायक जी को कर रहा हूं । (4) दूसरी बात उन्होंने शर्तों के हिसाब से उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्यवाही भी करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
314	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1708) दि. 03-03-2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान न किए जाने की जांच कराई जाकर भुगतान कराया जाना ।	आप सूची उपलब्ध करवा दें ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
315	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.404) दि. 03-03-2017 (श्री जितू पटवारी)	मध्यप्रदेश के प्रायवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूलने, तय दुकानों से किताबें व ड्रेस खरीदवाने पर रोक हेतु म.प्र.निजी विद्यालय अधिनियम 2017 को लागू किया जाना ।	(1) पूरी गंभीरता के साथ बहुत जल्द हम इस अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं । (2) आगामी शैक्षणिक सत्र अप्रैल के बाद जो चलेगा उससे पहले हमारे यह नियम लागू कर दिए जाएंगे । (3) आने वाले शिक्षण सत्र के पहले हम कठोर कानून ला रहे हैं और जो प्रायवेट शिक्षण संस्थाएं नये शिक्षण सत्र से इसका पालन नहीं करेंगी उनकी मान्यता तक निरस्त कर दी जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 03-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
316	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1719) दि. 03-03-2017 (श्री के.डी. देशमुख)	बालाघाट एवं सिवनी जिलान्तर्गत गोंड, गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति में शासन के आदेशानुसार शामिल किया जाना एवं ग्वारी जाति पिछड़ा वर्ग की सूची में भी उल्लिखित होने से भ्रम की स्थिति दूर कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना ।	(1) गोवारी जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के हमने आदेश दिये हैं और पुनः आदेश जारी करेंगे कि उनको अनुसूचित जनजाति का मानकर, उनको अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र बनाने के आदेश जारी करेंगे । (2) पिछड़ा वर्ग आयोग उसमें परीक्षण कर रहा है यदि वह अनुशंसा करेंगे तो उसको वहां से विलोपित करने की कार्यवाही करेंगे । (3) हम उसको दिखवा लेंगे और पुनः आदेश जारी करेंगे कि गोवारी जो अनुसूचित जनजाति में है उसके प्रमाण पत्र बनाये जायें । (4) मैंने कितना स्पष्ट बोला है कि गोवारी अनुसूचित जनजाति की सूची में है उसका प्रमाण पत्र बनाया जायेगा ।		
317	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.3601) दि. 03-03-2017 (श्री हर्ष यादव)	सागर संभाग अंतर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) माननीय सदस्य ने नाम बताया है मैं आज ही दिखवा लूंगा । (2) माननीय सदस्य ने आनंद का नाम लिया है हम अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे कि यदि यह प्रक्रिया में है और ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।		
318	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.3417) दि. 03-03-2017 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	जैसीनगर विकासखण्ड के औरिया ग्राम की विधवा महिला किसान के साथ एस.डी.एम. द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर एस.डी.एम. के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) मैं इस पूरे प्रकरण की एस.डी.एम. को हटाकर जांच करवा लूंगा । (2) <u>आसंदी से निर्देश</u> :- माननीय मंत्री जी ने उसका समाधान यह किया कि अधिकारी को हटा करके जाँच करा लेंगे. अब आप कुछ समय दें ताकि जाँच हो सके ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
319	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.31) दि. 03-03-2017 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 824/16 में संलग्न जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	लोकायुक्त संगठन द्वारा जाँच प्रकरण क्रमांक 824/16 पंजीबद्ध किया जाकर जाँच विचाराधीन है।		
320	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.1990) दि. 03-03-2017 (श्री लाखन सिंह यादव)	सहकारिता विभाग अंतर्गत ट्रेप के प्रकरणों पर अभियोजन की स्वीकृति की शीघ्र कार्यवाही की जाना ।	अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन ।		
321	अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.1053) दि. 03-03-2017 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्रीमती सावित्री नागर, ग्राम इन्द्रापुरा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर के पति श्री रामकिशन नागर के उपचार हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से राशि रू. 25,000/- का शीघ्र भुगतान किया जाना ।	कलेक्टर श्योपुर को निर्देश दिये गये हैं ।		